

## छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम

वित्तीय वर्ष 2019-20 के फायनल टू-अप तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के सकल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) तथा पारेषण टैरिफ के निर्धारण हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी याचिका का संक्षिप्त विवरण:-

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल वर्ष 2000 तक पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का हिस्सा था एवं छत्तीसगढ़ राज्य बनने के उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के रूप में दिसम्बर-2008 तक कार्य किया गया एवं राज्य सरकार द्वारा ट्रांसफर योजना को अधिसूचित करने के उपरांत मण्डल पांच उत्तरवर्ती कंपनियों में विभक्त हो गया जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 01 जनवरी 2009 से पूर्ववर्ती मण्डल के ट्रांसमिशन कार्यप्रणाली हेतु अस्तित्व में आई एवं कार्य प्रारंभ किया गया।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 64 एवं 86 में निहित प्रावधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण एवं टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तों) विनियम 2015 में निहित विभिन्न प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के फायनल टू-अप तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के सकल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) तथा पारेषण टैरिफ के निर्धारण हेतु याचिका क्रमांक 04/2021 माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जिसका वर्षवार विवरण तालिकाओं में निम्नानुसार प्रस्तुत है।

### अ. फाईनल टूअप वित्तीय वर्ष 2019-20 :-

(राशि रू. करोड में)

क्रं.	विवरण	वर्ष 2019-20	
		टैरिफ ऑर्डर दि. 28.02.2019	फाईनल टू-अप (याचिका)
1	कर्मचारी खर्च	201.77	195.24
2	ए. एंड जी. खर्च	30.96	56.20
3	आर. एंड एम. खर्च	31.73	51.14
4	सेवा निवृत्ति लाभ	45.26	45.26
5	अंतरिम वेतन राहत	15.24	-

6	घटाये— कर्मचारी, आर एंड एम और ए. एंड जी. खर्च का पूजीकरण	—	14.85
7	अवमूल्यन	237.36	232.23
8	ब्याज एवं वित्त प्रभार	240.49	196.65
9	कार्यकारी पूंजी का ब्याज	16.20	14.12
10	पूर्व अवधि का (आय )/ खर्च	—	—
11	अंश की पूंजी का प्रतिलाभ	202.80	198.73
12	लाभ/ (हानि) (ओ. एण्ड. एम. के खर्चों में बचत के कारण)	—	(10.38)
13	जोड़े — इन्सेन्टिव ट्रांसमिशन उपलब्धता के कारण	—	3.66
14	वर्तमान देय आयकर	—	12.74
15	कुल	1021.81	980.76
16	घटाये— अन्य आय	22.35	13.50
17	सकल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.)	999.45	967.26

**फाईनल टू-अप वित्तीय वर्ष 2019-20 का राजस्व आधिक्य / (घाटा):-**

क्रं.	विवरण	(राशि रु. करोड में)
1	सकल राजस्व आवश्यकता	999.45
2	वर्ष 2019-20 हेतु टैरिफ आदेश दिनांक 28.02.2019 के अनुसार कैरिंग कॉस्ट के साथ समायोजित आधिक्य / (घाटा)	182.61
2	कंपनी को प्राप्त सालाना राजस्व	816.84
4	वित्तीय वर्ष 2019-20 का प्रस्तावित फाईनल टूअप के अनुसार सकल राजस्व आवश्यकता	967.26
5	वर्ष 2019-20 का कुल राजस्व आधिक्य / (घाटा) (1-4)	32.19

**ख.. वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सार**

क्रं.	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
1	कर्मचारी खर्च	225.75

2	ए. एंड जी. खर्च	43.54
3	आर. एंड एम. खर्च	44.63
4	सेवा निवृत्ति लाभ	74.75
5	अंतरिम वेतन राहत	—
6	घटाये— कर्मचारी, आर एंड एम और ए. एंड जी. खर्च का पूंजीकरण	—
7	अवमूल्यन	251.89
8	ब्याज एवं वित्त प्रभार	178.41
9	कार्यकारी पूंजी का ब्याज	14.15
10	पूर्व अवधि का (आय )/ खर्च	—
11	अंश की पूंजी का प्रतिलाभ	219.04
12	लाभ/ (हानि) (ओ. एंड एम. के खर्चों में बचत के कारण)	—
13	जोड़े — इन्सेन्टिव ट्रांसमिशन उपलब्धता के कारण	—
14	वर्तमान देय आयकर	—
15	कुल	1,052.17
16	घटाये— अन्य आय	22.35
17	सकल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.)	1,029.82

**स. वर्ष 2020–21 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता के निर्धारण में फाईनल अंतिम आधिक्य का समायोजन किया जाना है जिसका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत की गयी है :—**

(राशि रु. करोड में)

क्रं.	विवरण	वर्ष 2019–20	वर्ष 2020–21	वर्ष 2021–22
1	प्रारंभिक आधिक्य/ (घाटा)	0	34.21	37.94
2	सकल आधिक्य/ (घाटा)	32.19	0	0
3	अंतिम आधिक्य/ (घाटा)	32.19	34.21	37.94
4	ब्याज दर	12.55%	10.90%	10.90%
5	कुल रखाव लागत	2.02	3.73	2.07
6	फाईनल अंतिम आधिक्य/ (घाटा)	34.21	37.94	40.01

**ग. वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सार**

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड हेतु वर्ष 2021–22 के लिये वार्षिक राजस्व आवश्यकता रु0. 1029.82 करोड़ प्रस्तावित किया गया है, तदनुसार कैरिंग कॉस्ट के साथ अंतिम

आधिक्य / (घाटा) रू. 40.01 करोड़ को वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता के निर्धारण के लिये समायोजित किया जाना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
1	वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	1,029.82
2	वर्ष 2020-21 हेतु कैरिंग कॉस्ट के साथ अंतिम आधिक्य / (घाटा)	40.01
3	वर्ष 2020-21 हेतु समायोजित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (1-2)	989.81

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये पारेषण प्रणाली में विभिन्न स्रोतों द्वारा उत्पादित एवं पारेषित अनुमानित ऊर्जा 70% लोड फेक्टर पर लगभग 30047 मिलियन यूनिट प्रवाहित होना, लघु अवधि प्रभार पारेषण प्रभार निर्धारित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	विवरण	वर्ष 2020-21
1	प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (रू. करोड़ में)	1029.82
2	घटाये:- वर्ष 2020-21 हेतु कैरिंग कॉस्ट के साथ अंतिम आधिक्य / (घाटा) (रू. करोड़ में)	40.01
3	वर्ष 2021-22 हेतु कुल समायोजित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (रू. करोड़ में)	989.81
4	अनुमानित अधिकतम मांग (मेगावाट में)	4900
5	पारेषित ऊर्जा 70% लोड फेक्टर पर ( मिलियन यूनिट)	30047
6	लघु अवधि प्रभार (पैसे/यूनिट)	32.94